राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग

प्रलिम्सि के लयि:

एनसीएसके, मैनुअल स्कैवेंजर्स के रूप में रोज़गार का नषिध और उनका पुनर्वास अधनियिम, 2013

मेन्स के लयि:

हाथ से मैला उठाने वालों के जीवन के उत्थान में NCSK का महत्त्व।

चर्चा में क्यों?

केंद्रीय मंत्रमिंडल ने राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग (एनसीएसके) के कार्यकाल को 31 मार्च, 2022 के बाद अगले तीन वर्ष के लयि बढ़ाने को मंजूरी दे दी है।

- देश में सफाई कर्मचारी और पहचाने गए हाथ से मैला ढोने वाले प्रमुख लाभार्थी होंगे।
- मैनुअल स्कैवेंजगि (Manual Scavenging) को "सार्वजनकि सड़कों और सूखे शौचालयों से मानव मल को हटाने, सेप्टकि टैंक, नालयों और सीवर की सफाई" के रूप में परभिाषति कयिा गया है।

प्रमुख बदि

- **राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के बारे में:**
  - NCSK की स्थापना वर्ष 1993 में NCSK अधनियिम, 1993 के प्रावधानों के अनुसार सरकार को सफाई कर्मचारयिों के कल्याण के लयि वशिष्टि कार्यक्रमों के संबंध में यह अपनी सफिारशिें देने के लयि की गई थी।
    - राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग अधनियिम 29 फरवरी, 2004 से प्रभावी नहीं रहा। उसके बाद एनसीएसके के कार्यकाल को समय-समय पर प्रस्तावों के माध्यम से एक गैर-सांवधिकि संस्था के रूप में बढ़ाया गया है।
    - सफाई कर्मचारयिों के कल्याण के लयि वशिष्टि कार्यक्रमों के संबंध में यह सरकार को अपनी सफिारशिें देता है, सफाई कर्मचारयिों के लिए मौजूदा कल्याण कार्यक्रमों का अध्ययन और मूल्यांकन करता है।
  - मैनुअल स्कैवेंजर्स के रूप में रोज़गार के नषिध और उनके पुनर्वास अधनियिम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार, NCSK को अधनियिम के कार्यान्वयन की नगिरानी करने, केंद्र एवं राज्य सरकारों को इसके प्रभावी कार्यान्वयन के लयि नविदा सलाह देने, अधनियिम के प्रावधानों के उल्लंघन/कार्यान्वयन के संबंध में शकियतों की जाँच करने का काम सौंपा गया है।
  - आयोग के अध्यक्ष और सदस्य सफाई कर्मचारयिों व उनके आश्रतिों की सामाजकि-आर्थकि और रहने की स्थतिकिा अध्ययन करने के लयि देश का व्यापक दौरा करते हैं।
  - आयोग इन शकियतों/याचकिाओं के संबंध में संबंधति अधकिारयिों से तथ्यात्मक रपिोर्ट मांगता है और प्रभावति सफाई कर्मचारयिों की शकियतों का नवािरण करने के लयि उन पर दबाव डालता है।
- **स्थतिि:**
  - NCSK (2020 डेटा) के अनुसार, पछिले 10 वर्षों में देश में सीवर और सेप्टकि टैंक की सफाई के दौरान कुल 631 लोगों की मौत हुई है।
    - पछिले पाँच वर्षों में मैला ढोने से होने वाली मौतों की सबसे अधकि संख्या वर्ष 2019 में देखी गई। सीवर और सेप्टकि टैंक की सफाई के दौरान 110 मजदूरों की मौत हो गई।
    - यह वर्ष 2018 की तुलना में 61% की वृद्धहिै, जसिमें इस तरह की मौतों के 68 मामले देखे गए।
  - वर्ष 2018 में एकत्र कयि गए आँकड़ों के अनुसार, उत्तर प्रदेश में 29,923 लोग हाथ से मैला ढोने के कार्य में लगे थे, जो भारत के कसिी भी राज्य में सबसे अधकि है।
- **संबंधति योजनाएँ:**
  - **अत्याचार नवािरण अधनियिम**
    - वर्ष 1989 में अत्याचार नवािरण अधनियिम, स्वच्छता कार्यकर्त्ताओं के लयि एक एकीकृत उपाय बन गया, क्योंकमिैला ढोने वालों में से 90% से अधकि लोग अनुसूचति जातकिे थे। वर्तमान में यह मैला ढोने वालों को नर्दिष्टि पारंपरकि व्यवसायों से मुक्त करने के लयि एक महत्त्वपूर्ण मील का पत्थर बन गया है।

- **सफाई मित्र सुरक्षा चुनौती:**
  - इसे आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा वर्ष 2020 में [विश्व शौचालय दिवस](#) (19 नवंबर) पर लॉन्च किया गया था।
  - सरकार ने सभी राज्यों से अप्रैल 2021 तक सीवर-सफाई को मशीनीकृत करने हेतु इस 'चुनौती' का शुभारंभ किया है, इसके तहत यदि किसी व्यक्ति को अपरिहार्य आपात स्थिति में सीवर लाइन में प्रवेश करने की आवश्यकता होती है, तो उसे उचित गियर और ऑक्सीजन टैंक आदि प्रदान किये जाते हैं।
- **'स्वच्छता अभियान एप':**
  - इसे अस्वच्छ शौचालयों और हाथ से मैला ढोने वालों के डेटा की पहचान और जियोटैग करने के लिये विकसित किया गया है, ताकि अस्वच्छ शौचालयों को सेनेटरी शौचालयों से प्रतिस्थापित किया जा सके तथा हाथ से मैला ढोने वालों को गरिमापूर्ण जीवन प्रदान करने के लिये उनका पुनर्वास किया जा सके।
- **राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम:**
  - यह सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत एक गैर-लाभकारी कंपनी है।
  - इसका प्राथमिक उद्देश्य सफाई कर्मचारियों और उनके आश्रितों का सामाजिक एवं आर्थिक रूप से उत्थान करना है।
- **सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय:**
  - वर्ष 2014 में सर्वोच्च न्यायालय के एक आदेश ने सरकार के लिये उन सभी लोगों की पहचान करना अनिवार्य कर दिया, जो वर्ष 1993 से सीवेज के कार्य में मारे गए तथा उनके परिवारों को मुआवज़े के रूप में प्रत्येक को 10 लाख रुपए प्रदान किये गए।
  - वर्ष 2014 में [सर्वोच्च न्यायालय](#) ने अपने एक आदेश के माध्यम से सरकार को यह निर्देश दिया था कि वह वर्ष 1993 के बाद से मैनुअल स्कैवेंजिंग कार्य करने के दौरान मरने वाले सभी लोगों की पहचान करे और उनके परिवार को 10 लाख रुपए का मुआवज़ा प्रदान करे।

हाथ से मैला उठाने वालों के नियोजन का निषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013:

- यह अधिनियम हाथ से **मैला ढोने वालों के नियोजन, बिना सुरक्षा उपकरणों के सीवर व सेप्टिक टैंकों की हाथ से सफाई और अस्वच्छ शौचालयों** के निर्माण पर रोक लगाता है।
- किसी भी व्यक्ति, स्थानीय प्राधिकरण या एजेंसी (जैसे नगर निगम) को सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के लिये लोगों को नियुक्त या नियोजित नहीं करना चाहिये। सेप्टिक टैंकों की यंत्रीकृत सफाई एक निर्धारित मानदंड है।
- यह मैनुअल मैला ढोने वालों का पुनर्वास करने और उनके वैकल्पिक रोज़गार प्रदान करने का प्रयास करता है। प्रत्येक**स्थानीय प्राधिकरण, छावनी बोर्ड और रेलवे प्राधिकरण अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर अस्वच्छ शौचालयों के सर्वेक्षण** के लिये ज़िम्मेदार हैं तथा वे कई स्वच्छता सामुदायिक शौचालयों का भी निर्माण करेंगे।
- **अस्वच्छ शौचालयों का प्रत्येक अधिभोगी अपने स्वयं के खर्च पर शौचालय को परिवर्तित या ध्वस्त करने के लिये ज़िम्मेदार** होगा। यदि वह ऐसा करने में विफल रहता है तो **स्थानीय प्राधिकारी शौचालय को परिवर्तित करेगा और उससे लागत वसूल** करेगा।
- **हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के रोज़गार का निषेध और उनका पुनर्वास (संशोधन) विधेयक, 2020** पेश किया गया है।

स्रोत: पी.आई.बी.

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/national-commission-for-safai-karamcharis